भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1681

13.02.2023 को उत्तर के लिए

राज्य आपदा प्रबंधन

1681.श्री अब्दुल खालेक :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- क्या सरकार असमय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए उपायों का संज्ञान लिया है (क) जो जलवाय परिवर्तन के लिए असम राज्य कार्य योजना के अंतर्गत राज्य में 500 लोग/इकाई की कैदी क्षमता के साथ एक बह्उद्देशीय बाढ़ आश्रय के निर्माण के अपने परिकल्पित लक्ष्य को लागू कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसएपीसीसी के अंतर्गत जिले में इस योजना के अंतर्गत (ख) उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

<u> उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- (क) और (ख) जलवाय परिवर्तन संबंधी असम राज्य कार्य योजना में बाढ़ से निपटने हेत् कार्यनीति का प्रावधान है। परिकल्पित कार्यों में से एक में धेमाजी, लखीमप्र, बारपेटा; जोरहाट में मोरीगांव और माजुली में 500 लोग/इकाई की निवासी क्षमता वाले बह्उद्देशीय बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण शामिल है। राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत पाँच वर्षों में आपदा प्रबंधन क्षेत्र की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नान्सार हैं:
 - असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा सेट का उपयोग करके असम राज्य के लिए बाढ़ के खतरे संबंधी जिलेवार नक्शे तैयार किए हैं।
 - जलवाय् अन्कूलन और उपशमन कार्यनीतियाँ ii.
 - असम के लिए आपातकालीन प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेत् अपने जीआईएस डेटाबेस iii. तैयार करने की पहल।
 - कमरूप के 200 स्कूलों और तिनस्किया जिले के 200 स्कूलों में राष्ट्रीय स्कूल स्रक्षा कार्यक्रम। iν.
 - सभी जिलों में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली (एफएलईडब्ल्यूएस) का विकास करना। ٧.
 - "जलवायु परिवर्तन सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण" नामक अद्वितीय शोध परियोजना vi.
- गतिशील विकास के संदर्भ में ग्वाहाटी का अन्कूलन" अर्थ इंस्टीट्यूट के सहयोग से। vii.
- "असम में जल संसाधन एवं बाढ़ तथा क्षरण जोखिम शमन योजना" नामक शोध परियोजना viii. अर्थ इंस्टीट्यूट के सहयोग से।

- ix. एएसडीएमए ने धेमाजी जिले और गुवाहाटी शहर, डिब्र्गढ़ एवं सिल्चर कस्बों के लिए जोखिम संवेदनशीलता आकलन (एचआरवीए) करने हेतु उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ काम किया।
- x. 18 जिलों (कमरूप एम, जोरहाट, कछार, करीमगंज, हलकांडी, दीमा हसाओ, नगांव, मोरीगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, कोकराझार, धुबरी, उदलगुरी, शिवसागर डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दरांग) के लिए आपदा मित्र
- xi. मंडल त्वरित कार्य दल (सीक्यूआरटी) का गठन
- xii. बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस)
- xiii. राज्य के अपने संसाधनों से तीन बाढ़ आश्रय स्थल (माज्ली, लखीमप्र एंड बारपेटा)।
- xiv. राहत शिविर सह स्कूल में सेनेटरी वेंडिंग मशीन एवं डिस्पोजल मशील लगाना क्योंकि महिला अनुकूल शिविरों (माजुली, मोरीगांव, गोलपारा) के निर्माण के लिए स्कूल ही राहत शिविर के रूप में कार्य कर रहा है, यह प्रक्रिया तिनस्किया और बारपेटा जिले में जारी है।
- xv. राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के अनुकूल स्थान (सीएफएस) संबंधी दिशा-निर्देश

जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) एक नीतिगत दस्तावेज है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने संबंधी प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों की परिकल्पना की है। सरकार राज्य के अनुकूलन कार्यों की सहायता हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम - जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि को लागू कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, दुर्बल समुदायों के लिए जलवायु अनुकूल आजीविका सृजित करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करने हेतु परियोजना मोड में गतिविधियों करने के लिए राज्य को 24.56 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी गई है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम - स्कीम के अन्तर्गत, वर्ष 2019-2020 में असम एसएपीसीसी के संशोधन हेतु 20 लाख रुपये की अनुदान सहायता भी स्वीकृत की है।
